14-02-2024 राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी रामसाय अनुपस्थित।

प्रकरण **आरोपी रामसाय** की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी रामसाय को जारी गिरफ्तारी वारंट तामिल अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है और अभियुक्त चालान प्रस्तुति दिनांक से ही अनुपस्थित रहे है, तब से अभियुक्त लगातार अनुपस्थित रहे है और उक्त आरोपी की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध बार-बार जमानती एवं गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, फिर भी उक्त आरोपी अनुपस्थित रहे है। आरोपी के विरूद्ध लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी होता रहा है, फिर भी आरोपी अनुपस्थित है और आज दिनांक को भी आरोपी अनुपस्थित है। अतएव प्रकरण के लंबन काल को दृष्टिगत् रखते हुए, उक्त आरोपी की अनुपस्थिति के कारण एवं उनके निकट भविष्य में नहीं मिलने की संभावना के आधार पर आरोपी के विरूद्ध **धारा 299 दं0प्र0सं0** की कार्यवाही करते हुये उन्हें **फरार घोषित** किया जाता है। **आरोपी रामसाय** के विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हो।

प्रकरण अभिलेखागार इस आशय की टीप से प्रेषित किया जावे कि प्रकरण में आरोपी फरार है, अतः प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

सही/-

KHILESHWARI SINHA

Digitally signed by KHILESHWARI SINHA
Date: 2024.02.14 18:16:18 +0530

(कु0 खिलेश्वरी सिन्हा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0